प्रेस विज्ञप्ति
27.04.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता आंचलिक कार्यालय ने परिसंपत्ति निस्तारण समिति (एडीसी) के समन्वय में रोज वैली समूह घोटाले के पीड़ितों को संपत्ति वापसी/प्रत्याहरण प्रदान करने की प्रक्रिया में निरंतर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसके परिणामस्वरूप अप्रैल 2026 तक निधि वितरण के 16 चरण पूर्ण किए जा चुके हैं तथा **1,73,350** पीड़ितों को **127.69 करोड़ रुपये** जारी किए जा चुके हैं।

रोज वैली समूह ने उच्च प्रतिफल का प्रलोभन देकर पश्चिम बंगाल, असम, ओडिशा तथा अन्य राज्यों के निवेशकों से कपटपूर्वक लगभग 17,520 करोड़ रुपये एकत्र किए थे, जिनमें से 6,666 करोड़ रुपये निवेशकों को चुकाये नहीं गए।

वर्ष 2014 में जांच प्रारंभ होने के पश्चात से प्रवर्तन निदेशालय ने रोज वैली समूह की परिसंपत्तियों का पता लगाने, कुर्क करने, जब्त करने तथा संरक्षण हेतु गंभीर प्रयास किए हैं। प्रभावित पीड़ितों को अधिकतम वापसी (प्रत्याहरण) सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रवर्तन निदेशालय ने अब तक पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम तथा त्रिपुरा सहित विभिन्न राज्यों में स्थित लगभग 1,568 करोड़ रुपये के बही मूल्य वाली चल एवं अचल संपत्तियां कुर्क अथवा जब्त की हैं।

धन वापसी (प्रत्याहरण) प्रक्रिया में एक प्रमुख उपलब्धि 22 अप्रैल 2025 को प्राप्त हुई, जब प्रवर्तन निदेशालय ने माननीय विशेष न्यायालय, भुवनेश्वर से प्राप्त आदेशों के अनुपालन में 517.54 करोड़ रुपये का मांग पत्र (डिमांड ड्राफ्ट) परिसंपत्ति निस्तारण समिति (एडीसी) को सौंपा, जिससे पीड़ितों को कुर्क अपराध से अर्जित आय की वापसी (प्रत्याहरण) संभव हो सकी।

उक्त उद्देश्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति करते हुए, प्रवर्तन निदेशालय तथा परिसंपत्ति निस्तारण समिति (एडीसी) ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित प्रौद्योगिकी के माध्यम से दावों एवं वितरण तंत्र के स्वचालन की प्रक्रिया प्रारंभ की है, जिसके लिए माननीय उच्च न्यायालय की स्वीकृति 31.03.2026 को प्राप्त की जा चुकी है। एडीसी केवाईसी निष्कर्षण तथा दावों के बहुस्तरीय मिलान को समयबद्ध एवं दक्षतापूर्वक संपादित करने हेतु धनवापसी पोर्टल के पुनरुद्धार के लिए सरकारी कंपनी स्टॉक होल्डिंग डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड के साथ व्यवस्था में शामिल हुई। इस उन्नत प्रणाली के माध्यम से वितरण समय-सीमा में उल्लेखनीय कमी आने की अपेक्षा है।

प्रवर्तन निदेशालय पश्चिम बंगाल में अन्य चिट फंड घोटालों की भी जांच कर रहा है तथा निर्दोष पीड़ितों को परिसंपत्तियों की शीघ्र वापसी (प्रत्याहरण) हेतु आवश्यक विधिक कदम उठा रहा है। प्रवर्तन निदेशालय, परिसंपत्ति निस्तारण समिति (एडीसी) को अपराध से अर्जित आय को सुरक्षित करने, उसका मुद्रीकरण करने तथा वैध दावेदारों को पारदर्शी एवं शीघ्र तरीके से वापसी (प्रत्याहरण) सुनिश्चित कराने में सहयोग प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।